

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रसंख्या-एनआरएचएम/मानी0एवसुपर0/वाहनअनुबंध/2017-18/

दिनांक- 31 जुलाई, 2017

आदेश

मानीटरिंग एवं सुपरविजन कार्यक्रम के अर्न्तगत वाहन उपलब्ध कराने के हेतु आमंत्रित निविदा दिनांक 17.07.2017 एवं अनुबन्ध दिनांक-31.07.2017 के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वाहन सहित निम्नानुसार इंगित स्थानों पर उपस्थित होकर संबंधित अधीक्षक/प्र0चि0अ0 के निर्देशन में अनुबन्ध में भरे गये शर्तों के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।

S.No	Alloted Block	Registration No of Vehicle	Owner Name
1	Akberpur	Motor Cab UP 45 T 4406	Sri Ahmad Mehdi
2	Katehari	Motor Cab UP 45 T 4727	Sri Sandeep Yadav
3	Bhiti	Motor Cab UP 45 T 4523	Sri Algooram Verma
4	Baskhari	Motor Cab UP 45 T 6630	Sri Brijesh Upadhyay
5	Ram Nagar	Motor Cab UP45 T 5311	Sri Kailash
6	Jahangirganj	Motor Cab UP 45 T 3458	Sri Jagdeesh
7	Bhion	Motor Cab UP 45 T 4870	Sri Abhisek Singh
8	Tanda	Motor Cab UP 45 F 3399	Sri Brijesh Upadhyay
9	Jalalpur	Motor Cab UP 45 T 4393	Sri Shashikant Tripathi
10	DPMU Office	Motor Cab UP 45 T 5394	Sri Sard Kumar Sharma
11	CMO Office	Motor Cab UP 45 T 4401	Sri Biplove Biswas

B. B. B. B.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

पृष्ठांकन व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- समस्त सम्बन्धित अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र, जनपद अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ कि आप वाहन चालक द्वारा वाहन ईकाई पर प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित करें, तथा सत्यापित बिल लाग-बुक की प्रमाणित छाया प्रति के साथ प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित करें।
- अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर0सी0एच0, अम्बेडकरनगर।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0 अम्बेडकरनगर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

OK



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष- मुख्य चिकित्सा अधिकारी / संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, अम्बेडकरनगर DR 664599

द्वितीय पक्ष- अरुण मेहरी 3/0 मो० मेहरी

(सेवा प्रदाता) अली-लाली शाहजादपुर अम्बेडकरनगर
अम्बेडकरनगर

यह अनुबन्ध पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम" के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 31.07.2017 को जनपद अम्बेडकरनगर में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.08.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जनपद में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम / मानसिक एवं सार्वजनिक के संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।


(क) प्रथम पक्ष, सेवाप्रदाता की अनुमोदित वाहन संख्या UP 45T 4406
रुपये 29,599/- प्रति माह की दर से परिवहन हेतु देगा।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए-

- वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य पक्ष किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत मिलेगी।
- वाहन की पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि अनिवार्य है।

मुख्य चिकित्साधिकारी
अम्बेडकरनगर

- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा ।
- वाहन को चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा । नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा । द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 300/- प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा ।
- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा, जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उससे समय-समय पर कार्य निष्पादन हेतु निर्देश दे सकें ।
- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाइसेन्स होना अनिवार्य है । द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा । द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे । द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे । ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा ।
- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 5.00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं प्रति दिन वाहन का उपयोग करने पर रू०-..... 29099 = का नियत भुगतान किया जायेगा । द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- वाहन में छोटी-मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी । बड़े टूट-फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा ।
- वाहन से प्रतिमाह 2000 कि०मी० की दूरी तय करनी होगी ।
- वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा । प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा ।
- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/ योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा ।
- जिन दिवसों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में वाहन का उपयोग नहीं होगा, उक्त दिवस में वे प्रभारी द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम में उक्त वाहन का संचालन किया जा सकता है ।



मुख्य चिकित्साधिकारी
अम्बेडकरनगर

- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा ।
- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल अम्बेडकरनगर न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा ।

स्थान :- Acharpur

दिनांक :- 31.07.2017

हस्ताक्षर :-

मुख्य निरीक्षक
मुख्य अधिकारी
अम्बेडकरनगर
अन्वेषण पक्ष

हस्ताक्षर :-

(अमन्देep मेहरी)
अनुबन्धित वाहन स्वामी का नाम
प्रथम पक्ष

साक्षी (1) हस्ताक्षर Raju
नाम Raju Kannouja
पता Sabulpur Hanswan
Ambedkarnagar

हस्ताक्षर Amandeep
नाम अमन्देep सिंह
पता शाहजादपुर अम्बेडकरनगर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, अम्बेडकरनगर DR 665098

द्वितीय पक्ष- संदीप कुमार यादव S/o राजाराम यादव
(सेवा प्रदाता) श्री. वीरापट्टी - भीरी - अम्बेडकरनगर

यह अनुबन्ध पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम" के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 31-07-2017 को जनपद अम्बेडकरनगर में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01-08-2017 से दिनांक 31-03-2018 तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जनपद में स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(क) प्रथम पक्ष, सेवाप्रदाता की अनुमोदित वाहन संख्या UP 45 T 4727

रुपये 29899 = 00 प्रति माह की दर से परिवहन हेतु देगा।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए-

- वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य पक्ष किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत मिलेगी।
- वाहन की पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि अनिवार्य है।

Sandeep Yadav
✓

[Signature]
मुख्य चिकित्साधिकारी
अम्बेडकरनगर

- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा ।
- वाहन को चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा । नियमित जॉंच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा । द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 300/- प्रतिदिन की दर से अर्थात् अतिरिक्त अधिरोपित करने का अधिकार होगा ।
- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा, जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उससे समय-समय पर कार्य निष्पादन हेतु निर्देश दे सकें।
- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाइसेन्स होना अनिवार्य है । द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा । द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा ।
- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 5.00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं प्रति दिन वाहन का उपयोग करने पर रू०-298000/- का नियत भुगतान किया जायेगा । द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- वाहन में छोटी-मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट-फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा ।
- वाहन से प्रतिमाह 2000 कि०मी० की दूरी तय करनी होगी।
- वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा । प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा ।
- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/ योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा ।
- जिन दिवसों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में वाहन का उपयोग नहीं होगा, उक्त दिवस में केन्द्र प्रभारी द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम में उक्त वाहन का संचालन किया जा सकता है।

Sandeep Yadav

TC
मुख्य चिकित्साधिकारी
अम्बेडकरनगर

- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा ।
- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल अम्बेडकरनगर न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा ।

स्थान :- Aligarh

दिनांक :- 31.7.2017

हस्ताक्षर :-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अम्बेडकरनगर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
द्वितीय पक्ष
अम्बेडकरनगर

हस्ताक्षर :- Sandeep Yadav

(श्री ५ यादव)
अनुबन्धित वाहन स्वामी का नाम
प्रथम पक्ष

साक्षी (1) हस्ताक्षर..... (2)

नाम..... श्री ५ यादव

पता..... अम्बेडकरनगर

हस्ताक्षर.....

नाम..... श्री ५ यादव

पता..... अम्बेडकरनगर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

22 APR 2017

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

DR 651963

प्रथम पक्ष- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, अम्बेडकरनगर ।

द्वितीय पक्ष- अलख राम वर्मा 8/0 बलर वर्मा

(सेवा प्रदाता) जग. ०२.५१. २०११

अम्बेडकरनगर ।

यह अनुबन्ध पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम" के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 31.07.2017 को जनपद अम्बेडकरनगर में सम्पादित किया गया । इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.08.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक होगी ।

1. द्वितीय पक्ष जनपद में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम/मानव संसाधन एवं सुपरविजन के संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा ।

(क) प्रथम पक्ष, सेवाप्रदाता की अनुमोदित वाहन संख्या UP 45 T 4523
रूपये 29,000/- प्रति माह की दर से परिवहन हेतु देगा ।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए-

- वाहन पंजीकृत होना चाहिए ।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो ।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा ।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य पक्ष किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी ।
- वाहन की पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि अनिवार्य है ।

अलख राम वर्मा

मुख्य चिकित्साधिकारी
अम्बेडकरनगर

- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा ।
- वाहन को चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा । नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा । द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 300/- प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा ।
- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा, जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उससे समय-समय पर कार्य निष्पादन हेतु निर्देश दे सकें ।
- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाइसेन्स होना अनिवार्य है । द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा । द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे । द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे । ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा ।
- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 5.00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं प्रति दिन वाहन का उपयोग करने पर रू०-2,90,99/- का नियत भुगतान किया जायेगा । द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- वाहन में छोटी-मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी । बड़ी टूट-फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा ।
- वाहन से प्रतिमाह 2000 कि०मी० की दूरी तय करनी होगी ।
- वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा । प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा ।
- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/ योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा ।
- जिन दिवसों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में वाहन का उपयोग नहीं होगा, उक्त दिवस में केन्द्र प्रभारी द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम में उक्त वाहन का संचालन किया जा सकता है ।

१२/०२/२०२०

मुख्य चिकित्साधिकारी
अन्तःकरण

- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा ।
- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल अम्बेडकरनगर न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा ।

स्थान :- A/Corpen

दिनांक :- 31.05.2011

हस्ताक्षर :- [Signature]

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अम्बेडकरनगर
द्वितीय अम्बेडकरनगर

हस्ताक्षर :- [Signature]

([Signature])
अनुबन्धित वाहन स्वामी का नाम
प्रथम पक्ष

साक्षी (1) हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....

(2) हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

₹. 100



सत्यमेव जयते

Rs. 100

HUNDRED RUPEES

17 JUL 2017

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, अम्बेडकरनगर। DR 665250

द्वितीय पक्ष- बालर उपाध्याय / श्रीमान दास उपाध्याय
(सेवा प्रदाता) गोरखपुर सौधु : रा. 051
इन्डियन नगर

यह अनुबन्ध पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम" के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक- 31.07.2017 को जनपद अम्बेडकरनगर में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक- 01.08.2017 से दिनांक- 31.03.2018 तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जनपद में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम / मानी 2018 के सुपरविजन के संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(क) प्रथम पक्ष, सेवाप्रदाता की अनुमोदित वाहन संख्या UP 45 T 6630 रुपये 29099-00 प्रति माह की दर से परिवहन हेतु देगा।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए-

- वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य पक्ष किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत मिलेगी।
- वाहन की पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि अनिवार्य है।

[Signature]

मुख्य चिकित्साधिकारी
अम्बेडकरनगर

- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा ।
- वाहन को चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा । नियमित जाँच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा । द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 300/- प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा ।
- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा, जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उससे समय-समय पर कार्य निष्पादन हेतु निर्देश दे सकें।
- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा । द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा ।
- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 5.00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं प्रति दिन वाहन का उपयोग करने पर रू०-...28,599/-...का नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- वाहन में छोटी-मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट-फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा ।
- वाहन से प्रतिमाह 2000 कि०मी० की दूरी तय करनी होगी।
- वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा । प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा ।
- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/ योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा ।
- जिन दिवसों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में वाहन का उपयोग नहीं होगा, उक्त दिवस में केन्द्र प्रभारी द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम में उक्त वाहन का संचालन किया जा सकता है।

[Handwritten Signature]

मुख्य चिकित्साधिकारी
अम्बेडकरनगर

- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा ।
- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल अम्बेडकरनगर न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा ।

स्थान :- Akbarpur

दिनांक :- 21.07.2017

हस्ताक्षर :-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
द्वितीय पक्ष
अम्बेडकरनगर

हस्ताक्षर :-
K. राजेश कुमार
अनुबन्धित वाहन स्वामी का नाम
प्रथम पक्ष

साक्षी (1) हस्ताक्षर :- राधिका यादव (2) हस्ताक्षर :- सुलोचना

नाम :- राधिका यादव

नाम :- सुलोचना

पता :- प्रो. वी. पी. चौधरी रोड, अम्बेडकरनगर

पता :- 15/10 - पॉस्ट ऑफिस, अम्बेडकरनगर

श्री श्री अम्बेडकरनगर

3090

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

10 JUL 2017

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

DR 66454

प्रथम पक्ष— मुख्य चिकित्सा अधिकारी/संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, अम्बेडकरनगर।

द्वितीय पक्ष— कैलाश S/O चन्द्रशान

(सेवा प्रदाता) इसीरी नसीरपुर - अम्बेडकरनगर

।

यह अनुबन्ध पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम" के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 31-07-2017 को जनपद अम्बेडकरनगर में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01-08-2017 से दिनांक 31-03-2018 तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जनपद में ~~बस~~ स्वास्थ्य कार्यक्रम/सूनीय एव सुपरविजन के संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(क) प्रथम पक्ष, सेवाप्रदाता की अनुमोदित वाहन संख्या UP 5 T 5311

रुपये 29899 = 00 प्रति माह की दर से परिवहन हेतु देगा।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए—

- वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य पक्ष किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
- वाहन की पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि अनिवार्य है।

Kailash

मुख्य चिकित्साधिकारी
अम्बेडकरनगर

- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा ।
- वाहन को चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा । नियमित जॉब हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा । द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 300/- प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा ।
- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा, जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उससे समय-समय पर कार्य निष्पादन हेतु निर्देश दे सकें।
- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा । द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा ।
- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 5.00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं प्रति दिन वाहन का उपयोग करने पर रू०-~~29899~~ = 0 का नियत भुगतान किया जायेगा । द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- वाहन में छोटी-मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट-फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा ।
- वाहन से प्रतिमाह 2000 कि०मी० की दूरी तय करनी होगी।
- वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा । प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा ।
- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/ योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा ।
- जिन दिवसों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में वाहन का उपयोग नहीं होगा, उक्त दिवस में केन्द्र प्रभारी द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम में उक्त वाहन का संचालन किया जा सकता है।

Kaishash

मुख्य चिकित्साधिकारी
अन्तेइकरनगर

- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा ।
- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल अम्बेडकरनगर न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा ।

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर :-

मुख्य चिकित्सक अधिकारी
मुख्य चिकित्सक अधिकारी
अम्बेडकरनगर
द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर :- Kailash

(
अनुबन्धित वाहन स्वामी का नाम
प्रथम पक्ष

साक्षी (1) हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....

(2) हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



सत्यमेव जयते

कोषाधिकार
मुद्रा
ONE
HUNDRED RUPEES
01 MAY 2017

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

अनुबन्ध पत्र

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मुख्य चिकित्सा अधिकारी / संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, अम्बेडकरनगर DR 653417

द्वितीय पक्ष-
(सेवा प्रदाता)

यह अनुबन्ध पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम" के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 31.07.2017 को जनपद अम्बेडकरनगर में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.08.2017 से दिनांक 31.07.2018 तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जनपद में ~~बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम~~ के संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(क) प्रथम पक्ष, सेवाप्रदाता की अनुमोदित वाहन संख्या UP 45T 3450
रुपये 29099/- प्रति माह की दर से परिवहन हेतु देगा।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए-

- वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य पक्ष किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत मिलेगी।
- वाहन की पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि अनिवार्य है।

.....

मुख्य चिकित्साधिकारी

- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा ।
- वाहन को चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा । नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा । द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300/- प्रतिदिन की दर से अर्थात् अचिरापित करने का अधिकार होगा ।
- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा, जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उससे समय-समय पर कार्य निष्पादन हेतु निर्देश दे सकें ।
- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाइसेन्स होना अनिवार्य है । द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा । द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे । द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे । ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा ।
- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 5.00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं प्रति दिन वाहन का उपयोग करने पर रू०-25099-20 का नियत भुगतान किया जायेगा । द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- वाहन में छोटी-मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी । बड़ी टूट-फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा ।
- वाहन से प्रतिमाह 2000 कि०मी० की दूरी तय करनी होगी ।
- वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा । प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा ।
- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/ योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा ।
- जिन दिवसों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में वाहन का उपयोग नहीं होगा, उक्त दिवस में केन्द्र प्रभारी द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम में उक्त वाहन का संचालन किया जा सकता है ।

अ. क. शर्मा

मुख्य चिकित्साधिकारी
अम्बेडकरनगर

- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा ।
- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल अम्बेडकरनगर न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा ।

स्थान :- *अम्बेडकरनगर*

दिनांक :- (31.05)-2017

हस्ताक्षर :-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अम्बेडकरनगर

हस्ताक्षर :- *अम्बेडकरनगर*

(
अनुबन्धित वाहन स्वामी का नाम
प्रथम पक्ष

साक्षी (1) हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....

(2) हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, अम्बेडकरनगर DR 6661

द्वितीय पक्ष- अभिषेक सिंह 8/0 धोस प्रकाश सिंह
(सेवा प्रदाता)

यह अनुबन्ध पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर द्वारा "राष्ट्रीय ~~स्वास्थ्य~~ स्वास्थ्य कार्यक्रम " संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 31.07.2017 को जनपद अम्बेडकरनगर में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक-01.08.2017 से दिनांक-31.03.2018 तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जनपद में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम / मानसिक एवं सुपरविजन के संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(क) प्रथम पक्ष, सेवाप्रदाता की अनुमोदित वाहन संख्या UP 45T 4070 रुपये 29099= प्रति माह की दर से परिवहन हेतु देगा।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए-

- वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य पक्ष किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत मिलेगी।
- वाहन की पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि अनिवार्य है।

Abhishek

मुख्य चिकित्साधिकारी
अम्बेडकरनगर

- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा ।
- वाहन को चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा । नियमित जाँच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा । द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300/- प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा ।
- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा, जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उससे समय-समय पर कार्य निष्पादन हेतु निर्देश दे सकें।
- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा । द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा ।
- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 5.00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं प्रति दिन वाहन का उपयोग करने पर रू0-~~29899~~ 29899 = 00 का नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- वाहन में छोटी-मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट-फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा ।
- वाहन से प्रतिमाह 2000 कि०मी० की दूरी तय करनी होगी।
- वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा । प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा ।
- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/ योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा ।
- जिन दिवसों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में वाहन का उपयोग नहीं होगा, उक्त दिवस में केन्द्र प्रभारी द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम में उक्त वाहन का संचालन किया जा सकता है।

H. H. H.

मुख्य चिकित्साधिकारी
अन्वेडकरनगर

- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा ।
- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल अम्बेडकरनगर न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा ।

स्थान :- AICORP

दिनांक :- 31.07.2017

हस्ताक्षर :-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुख्य निमित्त अधिकारी
द्वितीय पक्ष अम्बेडकरनगर

हस्ताक्षर Abhinav

(अभिषेक सिंह)
अनुबन्धित वाहन स्वामी का नाम
प्रथम पक्ष

साक्षी (1) हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....

(2) हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

DR 665249

प्रथम पक्ष- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, अम्बेडकरनगर।

द्वितीय पक्ष- श्री. उमेश कुमार शर्मा / 5/0, 210191 नदी, 341241

(सेवा प्रदाता) गो. अ. न. यु. चिकित्सक, 21035

अम्बेडकरनगर, 21035

यह अनुबन्ध पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम" के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 31.07.2017 को जनपद अम्बेडकरनगर में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक- 01.08.2017 से दिनांक- 31.03.2018 तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जनपद में स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(क) प्रथम पक्ष, सेवाप्रदाता की अनुमोदित वाहन संख्या UP 45 F 3399 रुपये 29,099 = ₹ प्रति माह की दर से परिवहन हेतु देगा।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए-

- वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य पक्ष किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत मिलेगी।
- वाहन की पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि अनिवार्य है।

[Signature]

[Signature]
मुख्य चिकित्साधिकारी
अम्बेडकरनगर

- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा ।
- वाहन को चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा । नियमित जॉब हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा । द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300/- प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा ।
- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा, जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उससे समय-समय पर कार्य निष्पादन हेतु निर्देश दे सकें।
- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा । द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा ।
- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 5.00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं प्रति दिन वाहन का उपयोग करने पर रू०-29,899/- का नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- वाहन में छोटी-मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट-फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा ।
- वाहन से प्रतिमाह 2000 कि०मी० की दूरी तय करनी होगी।
- वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा । प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा ।
- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/ योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा ।
- जिन दिवसों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में वाहन का उपयोग नहीं होगा, उक्त दिवस में केन्द्र प्रभारी द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम में उक्त वाहन का संचालन किया जा सकता है।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 मुख्य चिकित्साधिकारी
 अम्बेडकरनगर

- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा ।
- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल अम्बेडकरनगर न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा ।

स्थान :- Akbarpur

दिनांक :- 31.07.2017

हस्ताक्षर :-

मुख्य अधिकारी
अम्बेडकरनगर
द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर :-

(राजेश कुमार)
अनुबन्धित वाहन स्वामी का नाम
प्रथम पक्ष

साक्षी (1)

हस्ताक्षर

नाम

पता

पता

(2)

हस्ताक्षर

नाम

पता

पता



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

DR 666191

प्रथम पक्ष- मुख्य चिकित्सा अधिकारी / संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, अम्बेडकरनगर ।

द्वितीय पक्ष- शशिकान्त विवारी S/o सत्य नारायण त्रिपाठी

(सेवा प्रदाता) कृष्णा नगर कार्तवीर शहजादपुर इलाहाबाद

यह अनुबन्ध पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम" के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 31-07-2017 को जनपद अम्बेडकरनगर में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक-01-08-2017 से दिनांक-31-03-2018 तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जनपद में बाह्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(क) प्रथम पक्ष, सेवाप्रदाता की अनुमोदित वाहन सख्या UP 45 T 4393

रुपये 29899 प्रति माह की दर से परिवहन हेतु देगा।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए-

- वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य पक्ष किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत मिलेगी।
- वाहन की पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि अनिवार्य है।

Shashikanth Tripathi

मुख्य चिकित्साधिकारी
अम्बेडकरनगर

- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा ।
- वाहन को चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा । नियमित जॉब हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा । द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300/- प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा ।
- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा, जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उससे समय-समय पर कार्य निष्पादन हेतु निर्देश दे सकें।
- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा । द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा ।
- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 5.00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं प्रति दिन वाहन का उपयोग करने पर रू0-29,099.....का नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- वाहन में छोटी-मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट-फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा ।
- वाहन से प्रतिमाह 2000 कि०मी० की दूरी तय करनी होगी।
- वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा । प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा ।
- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/ योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा ।
- जिन दिवसों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में वाहन का उपयोग नहीं होगा, उक्त दिवस में केन्द्र प्रभारी द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम में उक्त वाहन का संचालन किया जा सकता है।

*Yashwanth
Tippa*

TC
मुख्य चिकित्साधिकारी
अम्बेडकरनगर

- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा ।
- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल अम्बेडकरनगर न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा ।

स्थान :- AIC Bank

दिनांक :- 31.07.2017

हस्ताक्षर :-

मुख्य निरीक्षण अधिकारी
अम्बेडकरनगर
द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर :- Shashikant Tripathi

(SHASHIKANT TRIPATHI)
अनुबन्धित वाहन स्वामी का नाम
प्रथम पक्ष

साक्षी (1) हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....

(2) हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष- मुख्य चिकित्सा अधिकारी / संभोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, अम्बेडकरनगर DR 664706

द्वितीय पक्ष- शरद कुमार वर्मा 8/0 इस्तर-तन्दू शर्मा
 (सेवा प्रदाता) गाधीनगर अम्बेडकरनगर

यह अनुबन्ध पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर द्वारा "राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम" के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 31-07-2017 को जनपद अम्बेडकरनगर में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक-1-08-2017 से दिनांक-31-03-2018 तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जनपद में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(क) प्रथम पक्ष, सेवाप्रदाता की अनुमोदित वाहन संख्या UR 45 T 5394
 रूपये 29899/- प्रति माह की दर से परिवहन हेतु देगा।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए-

- वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य पक्ष किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत मिलेगी।
- वाहन की पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि अनिवार्य है।

शरद कुमार वर्मा

मुख्य चिकित्साधिकारी
 अम्बेडकरनगर

- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा ।
- वाहन को चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा । नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा । द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300/- प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा ।
- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा, जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उससे समय-समय पर कार्य निष्पादन हेतु निर्देश दे सकें।
- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा । द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा ।
- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 5.00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं प्रति दिन वाहन का उपयोग करने पर रू०-29899/- का नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- वाहन में छोटी-मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट-फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा ।
- वाहन से प्रतिमाह 2000 कि०मी० की दूरी तय करनी होगी।
- वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा । प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा ।
- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/ योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा ।
- जिन दिवसों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में वाहन का उपयोग नहीं होगा, उक्त दिवस में केन्द्र प्रभारी द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम में उक्त वाहन का संचालन किया जा सकता है।

श्री ५ अमल शिम

रुख चिकित्साधिकारी

- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा ।
- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल अम्बेडकरनगर न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा ।

स्थान :- Akbarpur

दिनांक :- 31.07.2017

हस्ताक्षर :-

मुख्य चिकित्सक अधिकारी
अम्बेडकरनगर
द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर :-

(शरदकुमार शर्मा)
अनुबन्धित वाहन स्वामी का नाम
प्रथम पक्ष

साक्षी (1) हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....

(2) हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, अम्बेडकरनगर DR 659896

द्वितीय पक्ष- विद्युत विश्वास S/o वासुदेव विश्वास
(सेवा प्रदाता) वेस्टफु शेड शाहजादपुर अम्बेडकरनगर

यह अनुबन्ध पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम" के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 31-07-2017 को जनपद अम्बेडकरनगर में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक- 01-08-2017 से दिनांक- 31-03-2018 तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जनपद में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(क) प्रथम पक्ष, सेवाप्रदाता की अनुमोदित वाहन संख्या UP 45 T 4401 रुपये 29809 = 00 प्रति माह की दर से परिवहन हेतु देगा।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए-

- वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य पक्ष किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
- वाहन की पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि अनिवार्य है।

विद्युत विश्वास

मुख्य चिकित्साधिकारी

- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा ।
- वाहन को चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा । नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा । द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300/- प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा ।
- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा, जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उससे समय-समय पर कार्य निष्पादन हेतु निर्देश दे सकें ।
- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा । द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा ।
- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 5.00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं प्रति दिन वाहन का उपयोग करने पर रू०-29899=00 का नियत भुगतान किया जायेगा । द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- वाहन में छोटी-मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट-फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा ।
- वाहन से प्रतिमाह 2000 कि०मी० की दूरी तय करनी होगी।
- वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा । प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा ।
- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/ योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा ।
- जिन दिवसों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में वाहन का उपयोग नहीं होगा, उक्त दिवस में केन्द्र प्रभारी द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम में उक्त वाहन का संचालन किया जा सकता है।

बालू

मुख्य विकिरसाधिकारी

- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/ जानकारी प्राप्त करने व अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा ।
- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल अम्बेडकरनगर न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा ।

स्थान :- Alwar

दिनांक :- 31.03.2017

हस्ताक्षर :-

मुख्य निमित्त अधिकारी
अम्बेडकरनगर
द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर :- बिल्व

(बिल्व)
अनुबन्धित वाहन स्वामी का नाम
प्रथम पक्ष

साक्षी (1) हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....

(2) हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....